न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 69/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00201

1. दुर्गाराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी डूडीवाली तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

--- अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सोढवाली जरिये सरपंच, तहसील लूनकरणसर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसील लूनकरणसर।

--- रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद
राजकीय अभिभाषक मोहम्मद इम्तियाज अली

निर्णय

दिनांकः 15.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 23.12.1982 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 183 तादादी 25 बीघा मौजारोही हाफासर तहसील लूनकरणसर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट को सन् 1971 में आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित होकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका हैं, जो अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 183/369 तादादी 25 बीघा जरिये इंतकाल संख्या 181 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.1982 पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183 तादादी 25 के बदले खसरा नंबर 102 तादादी 25 बीघा रकबा दुरूस्ती के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.1982 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट वादगत भूमि खसरा नंबर 183/369 तादादी 25 बीघा मौजारोही हाफासर का खातेदारी काबिज काश्तकार होने के कारण हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि

अपीलांट सीधे तौर पर प्रभावित व व्यथित हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने व दर्ज रजिस्टर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

3 अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 183 तादादी 25 बीघा मौजारोही हाफासर तहसील लूनकरणसर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट को सन 1971 में आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित होकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है, जो अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 183/369 तादादी 25 बीघा जरिये इंतकाल संख्या 181 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.1982 पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183 तादादी 25 के बदले खसरा नंबर 102 तादादी 25 बीघा रकबा दुरूस्ती के आदेश पारित कर दिये। तत्पश्चात नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये, जिसका इंद्राज इंतकाल संख्या 584 से राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2036 से 2039 की जमाबन्दी में किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये वादगत भूमि के बदले खसरा नंबर 102 की तादादी 25 बीघा भूमि दुरूस्ती करते हुए दर्ज करने के आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित कर दिये व अपीलांट की वास्तविक आवंटित कब्जे काश्त की भूमि को चारागाह घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा दुरूस्ती के लिए कानून में संबंधित धारा में यह अधिकार प्राप्त नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कभी भी विधिवत रूप से वादगत भूमि को खसरा दुरूस्त करने अथवा चारागाह घोषित कराने हेतु निवेदन नहीं किया, ना ही आदेश जैर अपील के द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट को बेदखल किया गया, ना ही खसरा नंबर 102 में कब्जा दिया गया क्योंकि खसरा नंबर 102 में राजकीय रकबा उपलब्ध ही नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.1982 के पृष्ठ सं. 4 पैरा सं. 5 की क्रम सं. 6 पर अंकित अपीलांट का खसरा नंबर 183 तादादी 25 बीघा के स्थान पर खसरा नंबर 102 तादादी 25 बीघा दुरूस्ती किये जाने क हद तक निरस्त किये जाने व मूल खसरा नंबर 183 की तादादी 25 बीघा अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश

दिनांक 23.12.1982 सरपंच ग्राम पंचायत सोढवाली द्वारा तहसीलदार लूनकरणसर के समक्ष अपनी पंचायत द्वारा गोचर भूमि आरक्षित करने हेतु किये गये प्रस्ताव के क्रम में पारित हुआ है. जिसमे ग्राम पंचायत तहसीलदार लूनकरणसर की रिपोर्ट, पटवारी मौका रिपोर्ट व उपस्थित ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का एतराज नहीं होने के कारण वादगत भूमि को गोचर भूमि स्वीकृत की जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में गोचर भूमि के नाम अमलदरामद के आदेश दिये गये। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त अपील लगभग 35 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद न्यायालय मे पेश की हैं, जिसका अपील मे कोई संतोषजनक कारण भी नही है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को उसके आवंटित खसरा संख्या 183 तादादी 25 बीघा के बदले अन्य खसरा संख्या 102 में तादादी 25 बीघा कृषि भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.1982 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी एवं उक्त अवधि को माफ करने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषजनक तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट मियाद बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। वादगत भूमि खसरा नंबर 183 गैरमुमकिन गोचर दर्ज हो चुकी है। अतः अपीलार्थी अपने अधिकारों को तय कराने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर